राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःपीआर / डीएलबी / विविध / 2021 / 264-476 दिनांक : 26/04/2022

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद / पालिका
समस्त राजस्थान।

विषयः– समाचार पत्र की कटिंग पर अपनी टिप्पणी प्रेषित करने बाबत्।
प्रसंगः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 1221 दिनांक 25.10.2021 एवं 4635–4850 दिनांक 22.03.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा राज्य की नगरीय निकायों में सम्पादित होने वाले कार्यो के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को तत्काल टिप्पणी भिजवाये जाने के कारण आपको उसी दिन तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु नगरीय निकायों द्वारा इस संबंध में गम्भीर लापरवाही एवं उदासीनता प्रकट की जा रही है, जिसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के यू.ओ. नोट क्रमांक सम्पर्क / DIPR New Management / 2019 / 7688 (Sp6) दिनांक 18.04.2022 द्वारा राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक समाचारों पर अपेक्षित विभागीय सुधारात्मक कार्यवाही अथवा तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देश प्रदान करते हुए उल्लेख किया गया है कि नकारात्मक समाचारों की वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए विभाग द्वारा "DIPR New Management System (DNMS)" एप्लीकेशन बनाई गई है, जिसके माध्यम से स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित नकारात्मक समाचार की कतरन भिजवाई जाती है। समाचार पत्रों में प्रकाशित नकारात्मक समाचारों पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अथवा तथ्यात्मक स्थिति से यथासमय पर अवगत नहीं कराया जा रहा है। जिससे समाचार के सम्बन्ध में तथ्यात्मक जानकारी को उच्च स्तर पर अवगत नहीं कराया जा सका है। निर्धारित समय पश्चात् स्थिति से अवगत कराये जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः आपको पुनः निर्देश दिये जाते है कि इसे गंभीरता से लेते हुए निकायों से संबंधित नकारात्मक समाचारों की वांछित तथ्यात्मक सूचना संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क) की ई–मेल आई.डी. jdpr.lsg@gmail.com एवं वाट्सऐप न. 9829063502 पर उसी दिन आवश्यक रूप से भिजवायें। भविष्य में नकारात्मक समाचारों की तथ्यात्मक स्थिति से यथासमय अवगत कराते रहे।

यदि भविष्य में उपरोक्तानुसार वांछित सूचना तत्काल भिजवाने में विलम्ब किया जाता है, तो संबंधित निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के विरूद्ध तुरन्त ही **अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है,** जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःपीआर/डीएलबी/विविध/2021/ 477-487 दिनांक : 26/04/2022

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जसम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि अपने स्तर से भी आपके संभाग की निकायों को निर्देशित करावें।
5. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान।
6. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)